न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

रजन पुत्र हरीले गुर्जर आयु 58 साल निवासी तुलसीपुरा तहसील व जिला करौली (राज0)
— अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीधर आयु 40 साल
2. फूलसिंह आयु 50 साल
3. गुलबी बेवा गंगाधर

पुत्रान् गंगाधर जाति गुर्जर निवासी तुलसीपुरा तहसील व जिला करौली — रेस्पोण्डेण्ट

दर0 धारा 14(4) एलोटमेंट रूल्स 1970

निर्णय

दिनांक 10.02.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम तुलसीपुरा की आराजी खसरा नंबर 308 में से 3 बीघा भूमि को उपखण्ड अधिकारी, करौली द्वारा मिसल नं. 134 आवंटन दिनांक 20.06.1973 को अप्रार्थीगण के पिता व पति को आवंटित की गई थी जिसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के यह निगरानी तहत पेश की गई।

वकील प्रार्थी ने यह निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गंगाधर गुर्जर तुलसीपुरा को खसरा नंबर 308 में से 3 बीघा जमीन का एलोटमेंट जरिये मिसल नं. 134 दिनांक 18.06.1973 को शुरू किया गया और 20.06.1973 को एलोटमेंट 3 बीघा का उसके नाम किया गया जिसकी एलोटमेंट की दरख्वास्त दिनांक 18.06.73 की सत्य प्रतिलिपि पेश है। एलोटमेंट ऑर्डर 20.06.1983 की प्रतिलिपि पेश है। उक्त एलोटमेंट की दरख्वास्त पर गंगाधर के दस्तखत व सत्यापन के दस्तखत सिर्फ एक ही जगह है जबकि दोनों जगह उसकी निशानी जरूरी थी इस दरख्वास्त में गंगाधर की पत्नि के दस्तखत निशानी नहीं है। एलोटमेंट ऑर्डर पर विधायक के भी दस्तखत नहीं है जबकि विधायक के दस्तखत आवश्यक है। विधायक को सूचित किया भी गया या नहीं यह भी फाईल में नहीं है। 3 बीघा रकबा खसरा नं. 308 में से किस जगह एलोट किया गया है यह भी एलोटमेंट ऑर्डर में नही है। एलोटमेंट ऑर्डर के साथ अक्स की कॉपी भी नही है। किस जगह रकबा एलोट किया गया है। एलोटमेंट के बाद भी कब्जा एलोटमेंट रूल्स के मुताबिक 15 दिन में दिया जाना चाहिये लेकिन कब्जा करीब तीन साल बाद 1976 में दिया गया है। कब्जे की रिपोर्ट की नकल पेश है। एलोटमेंट की उद्घोषणा भी कानून के मुताबिक नहीं की गई है। एलोटमेंट के बाद पहली साल 50 प्रतिशत रनकबा काश्त होना चाहिये लेकिन गंगाधर ने इस जमीन को एलोटमेंट से लेकर आज तक काश्त नहीं की है। जमीन बंजर पडी हुई है। आज तक हल भी नहीं चलाया है। सम्वत् 2036 से सम्वत 2039 तक की व 2040 से 2043 तक व 2048 से 2051 तक की खसरा गिरदावरी की नकल पेश है जिससे ताईद होती है कि जब से अब तक इस जमीन को काश्त नहीं किया गया है और आज तक काश्त नहीं की है और गंगाधर मर चुका है। उसके वारिसान गैरसायलान ने भी आज तक जमीन को नहीं जोता है। एलोटमेंट रूल्स के मुताबिक श्रीमानजी को स्वप्रेरणा पर या किसी भी दरख्वास्त पर एलोटमेंट कैंसिल करने की पावर है इसलिये श्रीमान्जी को सुनवाई का अधिकार हासिल है। अंत में निगरानी स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 1 में एलोटमेंट होना स्वीकार है। बाकी इवारक गलत है। स्वीकार नहीं है। दर0

का मद नं. 2 गलत है, स्वीकार नहीं है। उक्त मद में एलोटमेंट के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को होते है। विधायक को सूचना देना या नहीं देना ये अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है। दर0 का मद नं. 3 गलत है स्वीकार नहीं है। दर0 का मद नं. 4 गलत है स्वीकार नहीं है। प्रार्थी व उसके वारिसान मुताबिक एलोटमेंट दिनांक से काबिज काश्त है और फसल काश्त करते चले आ रहे है। दर0 का मद नं. 5 स्वीकार है। दर0 का मद नं. 6 कानूनी है। जबाव की आवश्यकता नहीं है। दर0 का मद नं. 7 गलत है स्वीकार नहीं है। गैरसायलान व उनके पिता गंगाधर का उक्त एलोटमेंटशुदा जमीन पर आज तक कब्जा है तथा सम्पूर्ण एलोटमेंटशुदा जमीन पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान की गिरदावरी सं. 2068 से 2071 प्रमाण में पेश है। गंगाधर के जीवनकाल में गंगाधर द्वारा उक्त एलोटमेंटशुदा जमीन पर काश्त की गयी थी उसके मरने के बाद गैरसायलान द्वारा लगातार काश्त की जा रही है। सायल द्वारा गैरसायलान को परेशान व जबरदस्ती उक्त आराजीयात पर कब्जा करने की दृष्टि से झूठा मुदकमा पेश किया गया है। सायल उक्त आराजीयात को लट्ठ के बल पर व झूठे आरोप लगाने पर उतारू है। गैरसायलान एलोटमेंट दिनांक से आज तक उक्त भूमि पर काबिज काश्त है और अपनी मेहनत व पैसों से काश्त योग्य जमीन को बनाया है जिसमें करीब डेढ़–दो लाख रूपया खर्चा गैरसायलान द्वारा किया गया है। दर0 का मद नं. 8 गलत है स्वीकार नहीं है। अंत में निगरानी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

तहसीलदार करौली से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार करौली ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक–भू.अ./2019/3904 दिनांक 14.11.2019 से अवगत करवाया है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उक्त खसरा नंबर 308/17 रकबा 3–00 बीघा फूलसिहं, श्रीधर पि. गंगाधर व गुल्बी वेवा गंगाधर के नाम गैरखातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नंबर पर उक्त गैर खातेदार का पूर्व में एवं वर्तमान में कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वर्तमान में भी मौके पर उक्त भूमि पड़त पड़ी हुई है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि गंगाधर गुर्जर तुलसीपुरा को खसरा नंबर 308 में से 3 बीघा जमीन का एलोटमेंट जरिये मिसल नं. 134 दिनांक 18.06.1973 को शुरू किया गया और 20.06. 1973 को एलोटमेंट 3 बीघा का उसके नाम किया गया। उक्त एलोटमेंट की दरख्वास्त पर गंगाधर के दस्तखत व सत्यापन के दस्तखत सिर्फ एक ही जगह है जबकि दोनों जगह उसकी निशानी जरूरी थी इस दरख्वास्त में गंगाधर की पत्नि के दस्तखत निशानी नहीं है। एलोटमेंट ऑर्डर पर विधायक के भी दस्तखत नहीं है जबकि विधायक के दस्तखत आवश्यक है। विधायक को सूचित किया भी गया या नहीं यह भी फाईल में नहीं है। 3 बीघा रकबा खसरा नं. 308 में से किस जगह एलोट किया गया है यह भी एलोटमेंट ऑर्डर में नही है। एलोटमेंट ऑर्डर के साथ अक्स की कॉपी भी नही है। एलोटमेंट के बाद भी कब्जा एलोटमेंट रूल्स के मुताबिक 15 दिन में दिया जाना चाहिये लेकिन कब्जा करीब तीन साल बाद 1976 में दिया गया है। एलोटमेंट की उद्घोषणा भी कानून के मुताबिक नहीं की गई है। एलोटमेंट के बाद पहली साल 50 प्रतिशत रकबा काश्त होना चाहिये लेकिन गंगाधर ने इस जमीन को एलोटमेंट से लेकर आज तक काश्त नहीं की है। जमीन बंजर पडी हुई है। आज तक हल भी नहीं चलाया है। सम्वत् 2036 से सम्वत 2039 तक की व 2040 से 2043 तक व 2048 से 2051 तक की खसरा गिरदावरी की नकल पेश है जिससे ताईद होती है कि जब से अब तक इस जमीन को काश्त नहीं किया गया है और आज तक काश्त नहीं की है और गंगाधर मर चुका है। उसके वारिसान गैरसायलान ने भी आज तक जमीन को नहीं जोता है। एलोटमेंट रूल्स के मुताबिक श्रीमानजी को स्वप्रेरणा पर या किसी भी दरख्वास्त पर एलोटमेंट कैंसिल करने की पावर है इसलिये श्रीमान्जी को सुनवाई का अधिकार हासिल है। मौका जांच के लिए कोर्ट के आदेश गये हैं। 2071 की

गिरदावरी पेश की गई जो निगरानी पेश करने के बाद की है। अतः अप्रार्थीगण सूचित रहे हैं। अंत में निगरानी स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं. 1 में एलोटमेंट होना स्वीकार है। बाकी इवारत गलत है। स्वीकार नहीं है। उक्त मद में एलोटमेंट के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को होते है। विधायक को सूचना देना या नहीं देना ये अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है। प्रार्थी व उसके वारिसान मुताबिक एलोटमेंट दिनांक से काबिज काश्त है और फसल काश्त करते चले आ रहे है। गैरसायलान व उनके पिता गंगाधर का उक्त एलोटमेंटशुदा जमीन पर आज तक कब्जा है तथा सम्पूर्ण एलोटमेंटशुदा जमीन पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान की गिरदावरी सं. 2068 से 2071 प्रमाण में पेश है। गंगाधर के जीवनकाल में गंगाधर द्वारा उक्त एलोटमेंटशुदा जमीन पर काश्त की गयी थी उसके मरने के बाद गैरसायलान द्वारा लगातार काश्त की जा रही है। सायल द्वारा गैरसायलान को परेशान व जबरदस्ती उक्त आराजीयात पर कब्जा करने की दृष्टि से झूठा मुदकमा पेश किया गया है। सायल उक्त आराजीयात को लट्ठ के बल पर व झूठे आरोप लगाने पर उतारू है। गैरसायलान एलोटमेंट दिनांक से आज तक उक्त भूमि पर काबिज काश्त है और अपनी मेहनत व पैसों से काश्त योग्य जमीन को बनाया है जिसमें करीब डेढ़–दो लाख रूपया खर्चा गैरसायलान द्वारा किया गया है। मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण के समक्ष तैयार नहीं की गई है। उस पर अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं। हम भूमिहीन हैं। सरपंच ने भी लिख कर दिया है। हमारी जमीन को प्रार्थी हड़पना चाहते हैं। अंत में निगरानी खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा जरिये मिसल नं. 134 अप्रार्थीगण के पिता व पति को दिनांक 20.06.1973 को आराजी खसरा नं. 308 में से 3–00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है जिसका कब्जा आवंटी को 1976 में दिया गया है परंतु आवंटी एवं उसके वारिसान अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटित आराजीयात पर आदिनांक तक फसल काश्त नहीं की गई है। तहसीलदार करौली ने भी अपनी रिपोर्ट में आदिनांक आवंटी व उसके वारिसान द्वारा आवंटित रकबा में फसल काश्त नहीं करना बताया है। वर्तमान में भी आवंटित रकबा पड़त पड़ा हुआ है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों का पालन नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थीगण के पिता व पति गंगाधर के हक में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम तुलसीपुरा के आराजी खसरा नंबर 308 में से आवंटी गंगाधर पुत्र सुखचंद जाति गुर्जर निवासी तुलसीपुरा के हक में किये गये आवंटन 3–00 बीघा भूमि को निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार करौली को पाबंद किया जाता है कि उक्त भूमि पर कोई भी अतिक्रमण ना करे। उपखण्ड अधिकारी करौली को पाबंद किया जाता है कि उक्त भूमि को किसी सरकारी संस्था के लिए आवंटित किये जाने के प्रस्ताव भिजवाये जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उपखण्ड अधिकारी करौली को उनकी पत्रावली के साथ पालनार्थ एवं तहसीलदार करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 13:52:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: